भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2446

(सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

आईबीसी के अंतर्गत दिवाला मामले

2446. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत प्रारंभ किए गए दिवाला मामलों की कुल संख्या वर्ष-वार कितनी है;

(ख) समाधान प्रक्रिया के माध्यम से निपटाए गए मामलों की संख्या वर्ष-वार कितनी है तथा कितने मामले परिसमापन (लिक्विडेशन) तक पहुंचे;

(ग) दिवाला मामलों को निपटाने में लगने वाला औसत समय कितना है और क्या इसके कार्यान्वयन के बाद से इस समय-सीमा में कोई कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) समाधान प्रक्रिया के माध्यम से अब तक वसूल की गई कुल धनराशि कितनी है; और

(ङ) आईबीसी के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं तथा उनसे निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): पिछले पाँच वर्षों के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत कुल 4557 दिवाला मामलों को स्वीकार किया गया।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान कुल 1077 मामलों में समाधान योजनाएँ तैयार की गई तथा 1722 मामलों को परिसमापन के आदेश के साथ बंद कर दिया गया।

मार्च, 2026 के अंत तक जिन 1419 अंतरिम आवेदनों (सीआईआरपी) के समाधान की योजनाएँ तैयार की गईं उन्हें प्रक्रिया के समापन में औसतन 621 दिन लगे [न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (एए) द्वारा अपवर्जित अवधि को छोड़कर]। प्रत्येक मामले के समाधान में लगने वाला समय उस मामले की परिस्थितियों एवं जटिलता, साक्ष्यों की प्रकृति, अंतरिम आवेदनों (आईए) की संख्या, उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान किए गए स्थगन आदेश, हितधारकों के सहयोग तथा स्थगनों आदि पर निर्भर करता है।

वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ): मार्च, 2026 तक, लेनदारों ने समाधान योजनाओं के अंतर्गत ₹4.32 लाख करोड़ की वसूली की है, जो उनके स्वीकृत दावों का 30.56 प्रतिशत, परिसमापन मूल्य का 166.85 प्रतिशत तथा उचित मूल्य का 94.56 प्रतिशत है।

(ङ): सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) में सात विधायी संशोधन किए हैं तथा दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, भारत (आईबीबीआई) ने अपनी स्थापना के बाद से दिवाला समाधान व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा प्रक्रियागत दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से विनियमों में 100 से अधिक संशोधन किए हैं।

<u>अनुलग्नक</u>

पिछले पाँच वर्षों के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत आरंभ किए गए कुल दिवाला मामलों की वर्ष-वार जानकारी निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	अवधि	प्रवेशों की संख्या*
1.	2021-22	892
2.	2022-23	1262
3.	2023-24	1004
4.	2024-25	734
5.	2025-26	665
	कुल	4557

समाधान योजना के माध्यम से निस्तारित मामलों तथा परिसमापन में समाप्त हुए मामलों की वर्ष-वार जानकारी निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	अवधि	समाधानों की संख्या*	आदेशित परिसमापन की संख्या*
1.	2021-22	141	339
2.	2022-23	186	405
3.	2023-24	258	441
4.	2024-25	259	291
5.	2025-26	233	246
	कुल	1077	1722

दिवाला मामलों के समाधान में कार्यान्वयन के बाद से लगने वाले औसत समय की जानकारी निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	अवधि	समाधानों की संख्या*	औसत समाधान समय (दिनों में) (एए द्वारा अपवर्जित समय को छोड़ने के बाद)
1.	वित्तीय वर्ष 2017-2018	18	229
2.	वित्तीय वर्ष 2018-2019	74	325
3.	वित्तीय वर्ष 2019-2020	131	424
4.	वित्तीय वर्ष 2020-2021	119	471
5.	वित्तीय वर्ष 2021-2022	141	553
6.	वित्तीय वर्ष 2022-2023	186	658
7.	वित्तीय वर्ष 2023-2024	258	705
8.	वित्तीय वर्ष 2024-2025	259	718
9.	वित्तीय वर्ष 2025-2026	233	751

*आईबीबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, जिन्हें समाधान पेशेवरों द्वारा समय-समय पर दाखिल की गई सूचनाओं के आधार पर अद्यतन किया जाता है।
